

17 4/11/2023-2 73 20
28/2/2023
44

प्रश्न सं. [क. 168]
कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर

कमोंक / 1448 / स्टेनो / 08 /

नरसिंहपुर, दिनांक 14/3/08

:- आदेश :-

भा0रा0रा0 प्राधिकरण, नरसिंहपुर द्वारा एन0एच0 26 कि0मी0 287.000 से कि0मी0 379.000 के चौड़ीकरण में आने वाले पंचायतों की परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापना के संबंध में संपत्तियों का मूल्यांकन कर संबंधित ग्राम पंचायत के नाम से बैंक तैयार कर जिला पंचायत को उपलब्ध कराये गये हैं।

उक्त राशि से नवीन संपत्तियों का पुनर्निर्माण किया जायेगा। जिसमें अभी समय लग सकता है। अतः निर्णय लिया जाता है कि उक्त प्राप्त बैंक संबंधित ग्राम पंचायत पृथक खाता खोलकर उसमें जमा करायेगी। यह खाता संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव तथा गु0का0अधि0 जनपद पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा एवं इस राशि का आहरण किराी की स्थिति में आगामी/अन्य आदेश जारी होने तक नहीं किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व संबंधित गु0का0अधि0 जनपद पंचायत का होगा।

उपरोक्त परिसंपत्तियों को हटाने के संबंध में भा0रा0रा0 प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वे संपत्तियों को हटाने के पूर्व कम से कम 15 दिन पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतों को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। पुरानी परिसंपत्तियों से निकलने वाली सामग्री संबंधित ग्राम पंचायत अपने आधिपत्य में लेगी एवं उक्त पुरानी संपत्तियों को समयसीमा में हटाने की कार्यवाही करेगी। आधिपत्य में ली गई सामग्री सूचीबद्ध करते हुए संबंधित पंचायत अपनी अभिरक्षा में रखेगी तथा इसका उपयोग भविष्य में नवीन परिसंपत्ति के निर्माण के समय करेगी।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 14/3/08

पृष्ठोंकन कमोंक / 1449 / स्टेनो / जि0पं0 / 08 /
प्रतिलिपि:-

1. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। सर्व संबंधित ग्राम पंचायतों को जनपद पंचायतों के माध्यम से बैंक प्रदाय करे।
2. परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, भा0रा0रा0 प्राधिकरण, नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सक्षम अधिकारी, रा0रा0 26 भूअर्जन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर, नरसिंहपुर।
4. सर्व संबंधित विभाग को सूचनार्थ।
5. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरसिंहपुर/करली/घावरपाठा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व संबंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जनपद पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
नरसिंहपुर

प्राप्त 18/3/08
श्री अहिरा
संबंधित पंचायतों
के पत्रों के हस्ताक्षर
करने का निर्देश जारी
18/3/08

Office of the District Collector
Bhopal